HRA AN USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] No. 623] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000

का.आ. 880(अ)—ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस राष्ट्रीय न्यास के पदेन अध्यक्ष के रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक, कार्य करेंगे।

[फा. सं. 1-1/2000-एन.आई.-2]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2000

S.O. 880(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, it has been decided that Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment will act as ex-officio Chairperson of the National Trust till a full time Chairperson is appointed by the Central Government.

[F. No. 1-1/2000-NI-II]

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000

का.आ. 881(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आटिज्म, प्रमित्यक अंगघात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास का तत्काल प्रभाव गठन करती है। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

1. अलग से नियुक्त किया जाना है

अध्यक्ष सदस्य

 श्रीमती मेरी बरूआ, एक्सन फार आटिण्म टी-370-एफ, चिराग गांव तीसरा तल नई दिल्ली

सदस्य

- श्रीमती शारदा फतेहपुरिया निदेशक,
 मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फार द हैण्डिकैच्ड,
 482, मधुदाह, प्लाट 1-24, सेक्टर-जे, इस्टर्न मैट्रोपोलिटन बाइपास, कलकता-700078
- श्री रूकिमनी कृष्णास्वामी, निदेशक, स्पास्टिक्स सोसाइटी आफ इंडिया

सदस्य

सदस्य (पदेन)

--- वही---

~वही~

—वही—

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

पांचवा क्रास इंदिरा नगर, पहला स्टेज, बानालोर

श्री दामोदर तिलक,
 एसोशियेशन आफ पेरेन्ट्स आफ चिल्ड्रन
 विद मेंटल हैं डिकेप,
 17, केशरी एपार्टमेंट्स
 दिलिप गुप्ते पेठ,
 मुम्बई-400016

6. प्रो. के. आर. वंकटेश, सदस्य अध्यक्ष कर्नाटक पेरेंट्स एसोसियेशन फार मेंटली रिटार्डेड सिटिजन्स ए एम एच कम्पाउंड, आफ होसुर रोड, किदवई मेमोरियल होस्पिटल के निकट बंगलर-560029

 श्री एस. सी. पंत यू.पी. पेरेन्ट्स एसोसियेशन लखनऊ

 श्री अखिल पॉल, निदेशक, सेन्स इंटरनेशनल 405, फघोरियेट रेजीडेन्सी, सेंट जेवियर स्कूल के निकट, मेमनगर, अहमदाबाद।

 श्रीमती मारिलने कामदर, सरस्वती केन्द्र लिनैंग सेंटर, द सी पी रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन 1, एल्डाम्स रोड, अलवारापेट, चेन्नई

10. डॉ. श्रीमती राजन पी. आर. एस. पिल्ले, सदस्य निदेशक, बाल विकास इंस्टिट्यूट हिन्दुस्तान लेटेक्स के सामने त्रिवेन्द्रम

11. संयुक्त सचिव, सदस्य (पदेन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

12. संयुक्त सचिव, -- वही--महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार

13. संयुक्त सचिव ---वही--परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 14. संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार

15. संयुक्त सचिव श्रम मंत्रालय भारत सरकार

 संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार

संयुक्त सचिव
 शहरी मामले एवं मंत्रालय
 भारत सरकार

18. संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

19—21. तीन व्यक्तियों को परोपकारी कार्यकलापों में संलग्न ट्रेड, कामर्स तथा इंडस्ट्री एसोसिएशन से मनोनीत किया जाय।

(बाद में नियुक्ति की जाएगी)

22. मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य-सचिव ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगषात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

(भारत सरकार के संयुक्त सिचव के दर्जे का)

2. सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा उसके उत्तराधिकारी के विधिवत् नियुक्ति की तारीख तक, जो भी अधिक हो, होगा।

3. इस न्यास के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन कार्य इस बोर्ड में निहित होगा जो उन समस्त शिक्तयों का प्रयोग करेगा तथा उन समस्त कार्यों को निष्पादित करेगा जिनका इस न्यास द्वारा प्रयोग किया जाता हो अथवा किया गया हो।

4. यह बोर्ड किसी उस व्यक्ति को अपने साथ इस प्रकार से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाय, संबद्ध कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह की यह न्यास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए इच्छा करता हो। ऐसे व्यक्तियों को उस प्रयोजन से संबंधित विचार-विमर्शों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा लेकिन उन्हें बोर्ड की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए सदस्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार शामिल किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं होगी और यथासंभव इस प्रकार संबद्ध किए गए व्यक्ति पंजीकृत संगठनों अथवा व्यावसायिकों से संबंधित होंगे।

[एफ. सं. 1-1/2000 एन आई-2]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

---do---

-do---

---do---

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2000

- S.O. 881(E).—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 21st September, 2000 and in exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, the Central Government hereby constitutes the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Board with immediate effect. The Board shall consist of the following members:—
 - 1. To be appointed separately,
- Chairperson

Member

Member

Member

Member

- 2. Smt. Merry Barua, Action for Autism, T-370-F, Chiragh Gaon, Third Floor, New Delhi-110017.
 - 3. Smt Sharda Fatehpuria, Director, Manovikas Kendra Rehabilitation and Research Institute for the Handicapped, 482, Madhudah, Plot 1-24, Sector–J, Eastern Metropolitan Bypass, Calcutta-700078.
 - Smt. Rukmini Krishnaswamy, Member Director,
 Spastics Society of India,
 5th Cross Indira Nagar,
 1st Stage, Bangalore-560038.
 - Shri Damodar Tilak, Association of Parents of Children with Mental Handicap, 17, Kesri Apartments, Dilip Gupta Peth, Mumbai-400016.
 - Prof. K. R. Venkatesha,
 President.
 Karnataka Parents Association for Mentally Retarded Citizens, AMH Compound. Off Hosur Road,
 Near Kidwai Memorial Hospital.
 Bangalore-560029.
 - 7. Shri S. C. Pant, Member U. P. Parents Association, Lucknow.
 - 8. Shri Akhil Paul, Member Director, Sense International (India), 405, Favourite Residency, Nr. St. Xavier's School, Memnagar, Ahmedabad-380052.

- 9. Sint. Marlene Kamdar, Member Saraswati Kendra Learning Centre.
 The C. P. Ramaswami Aiyar
 Foundation, 1, Eldams Road,
 Alwarpet, Chennai-600018.
- Dr. (Smt.) Rajam PRS Pillay, Member Director,
 Balavikas Institute
 Opp. Hindustan Latex, Peroorkada,
 Trivendram, Kerala-595005.
- 11. Joint Secretary. Member Ministry of Social Justice and (Ex-officio) Empowerment
- 12. Joint Secretary, —do—
 Department of Women and Child
 Development, Government of India.
- 13. Joint Secretary. –
 Ministry of Health & Family Welfare,
 Government of India.
- 14. Joint Secretary, ——do—Ministry of Finance, Government of India.
- 15. Joint Secretary, —do— Ministry of Labour, Government of India.
- 16. Joint Secretary, --do-Department of Education,
 Government of India.
- 17. Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Employment, Government of India.
- 18. Joint Secretary, —do— Ministry of Rural Development, Government of India.
- 19-21. 3 persons to be nominated from association of trade, commerce and industry engaged in philanthropic activities (will be appointed later on).
- 22. Chief Executive Officer Member-National Trust for Welfare of Secretary Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (in the rank of JS, Govt. of India).
- 2. A Member shall hold office for a term of three years from the date of his/her appointment or until his/her successor shall have been duly appointed, whichever is longer.

- 3. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Trust shall vest in Board which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Trust.
- 4. The Board may associate with itself, in such manner and for such purpose as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire for carrying out the objects of the Trust. Such persons shall have a right to take part in the discussions

relevant to that purpose but shall not have a right to vote at a meeting of the Board and shall not be member for any other purpose. Further that the maximum number of persons so associated shall not exceed eight and so far as possible the persons so associated shall belong to the registered organisations or from the professionals.

[F. No. 1-1/2000-NI-II]

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.